

अपील / 01 / 2023

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

छिग्गा पुत्र श्री गोस्धन जाति गुर्जर निवासी ग्राम बाघई तहसील व जिला भरतपुर

बनाम

.....अपीलान्ट

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

.....रेस्पो

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार भरतपुर निर्णय दिनांक  
12.12.2022 व मुकदमे राज0 सरकार बनाम छिग्गा मु0न0  
07 / 2022 अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

- 1- श्री उदयवीर कसाना, अभिभाषक अपीलान्ट,
- 2- नायब तहसीलदार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 29.05.2024

अपीलान्ट ने जरिये अभिभाषक यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय दिनांक 12.12.2022 तहसीलदार भरतपुर इस आशय की पेश की गई है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.12.2022 विधि विरुद्ध, रिकार्ड व मौके के विपरीत है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकित किया है कि अपीलान्ट अपने परिवारीजनों के साथ पूर्वजों के समय से ही लम्बे अर्सा दराज से विवादित जगह में पक्का मकान/गैतवाडा बनाकर रिहायश करता चला आ रहा है। अपीलान्ट व उसके परिवारीजनों के पास अन्य कोई रिहायशी जगह उपलब्ध नहीं है तथा अपीलान्ट के मकान/गैतवाडे के चारों तरफ रिहायशी आबादी बसी हुई है। उक्त अहम तथ्यों की अवहेलना करके

.....2

2

जिला कलक्टर  
भरतपुर

(2)

अपील/01/2023  
छिग्गा बनाम सरकार

तहत न्यायालय ने विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है। जो काविल खारिज के है। उक्त आदेश के खिलाफ अपीलान्त द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 11.01.2023 को पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर जरिये नोटिस रैस्पोंडेन्ट की तलवी की गई एवं तहत पत्रावली तलव की गई।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्त ने अपनी बहस के दौरान अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये तर्क किया है कि अपीलान्त अपने परिवारीजनों के साथ पूर्वजों के समय से ही लम्बे अर्सा दराज से विवादित जगह में पक्का मकान/गैतवाडा बनाकर रिहायश करता चला आ रहा है। अपीलान्त व उसके परिवारीजनों के पास अन्य कोई रिहायशी जगह उपलब्ध नहीं है तथा अपीलान्त के मकान/गैतवाडे के चारों तरफ रिहायशी आबादी बसी हुई है। उक्त अहम तथ्यों की अवहेलना करके तहत न्यायालय ने विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है। जो खारिज किये जाने योग्य है।

रैस्पोंडेन्ट पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि आराजी खसरा नं० 115/0.06 है० वाके ग्राम बाघई किस्म गैर मुमकिन रास्ता जो राजकीय भूमि है। जिसमें से 0.01 है० पर अपीलान्त छिग्गा पुत्र गोरधन जाति गुर्जर निवासी बाघई ने पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। अपीलान्त द्वारा उक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। इस कारण अपीलान्त को उक्त विवादित भूमि से बेदखल किया गया है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्त खारिज किये जाने का अनुरोध किया है।

२

.....3

जिला कलक्टर  
भरतपुर



(3)


अपील/01/2023  
छिग्गा बनाम सरकार

हमने उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। तहत पत्रावली में उपलब्ध खसरा परिवर्तनी संवत 2079 ग्राम बाघई के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 115/0.06 है 0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। साथ ही तहत पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी एवं आई.एल.आर. से स्पष्ट है कि अपीलान्त/अतिक्रमी द्वारा विवादित भूमि के रकवा 0.01 है 0 पर पक्का मकान बनाकर अवैधरूप से कब्जा किया गया है, जो गलत है। जहाँ तक प्रश्न विवादित भूमि के आवंटन/नियमन का है, इस सम्बन्ध में स्पष्ट है कि विवादित भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड है। ऐसी भूमियाँ आर. टी. एक्ट की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है। ऐसी भूमियों का किसी प्रकार से आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार भरतपुर द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुये सही निर्णय पारित किया है। जिसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं। तहसीलदार भरतपुर का निर्णय यथावत रखा जाता है। अस्तु अपील काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस तहसीलदार भरतपुर को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को सुनाया गया

  
(डॉ अमित यादव)  
जिला कलक्टर,  
भरतपुर